

रूप सिंह vs फर्द अहकाम कोष्टक

बनाम

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

केस संख्या विराटनगर (जयपुर)

दावा

3/2014

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
06/11/17		<p>वकील फीके उक्त न्यायद्वारा साक्ष्यवादी को व्युत्पन्न अवसर दिया जाकर दिनांक 02/11/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>
2/11/18		<p>वकील फीके उक्त न्यायद्वारा हित में साक्ष्यवादी के पंचम अंतिम अवसर दिया जाकर दिनांक 10/11/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>
10/11/18		<p>वकीलवादी उपस्थित नहीं हुए। वादीगण के उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगावा दी गयी है कि वे कोई उपस्थित नहीं आया। अतः दावा अदम्य हाजरी अदम्य पेशी में खारिज किया जाता है। फगावली नम्बर मुकदमे को दायित्व दफ्तार हो। निर्णय को न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>